न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर (राज.)

अपील सं. 122/2018 सुखदेवसिंह बनाम नक्षत्र सिंह आदि

आदेश दिनांक	आदेश या कार्यवाही पीठासीन अधिकारी के लघु हस्ताक्षर से युक्त	आदेश की पालना में प्रस्तावित पत्रांक एवं दिनांक
15.10.18	पत्रावली पेश हुई। अपीलांट द्वारा यह अपील उपखण्ड अधिकारी पदमपुर के आदेश दिनांक 12.06.2018 के विरूद्ध पेश की है। उक्त आदेश के द्वारा प्रार्थी/रेस्पों. द्वारा प्रस्तुत विविध प्रा.पत्र स्वीकार करते हुए चक 4 बी बी के मु.नं. 37 के कि.नं. 1, 10, 11, 20, 21 में मौका पर चालू खाला को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये है। अपील पेश होने पर इस न्यायालय द्वारा दिनांक 25.09.2018 को एकतरफा स्थगन आदेश जारी किया गया। रेस्पों. के उपस्थित आने पर रेस्पों. द्वारा दिनांक 3.10.2018 को स्थगन प्रा.पत्र का जबाब पेश कर कथन किया कि अपीलांट द्वारा गलत स्थगन आदेश प्राप्त किया है। प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय में विनिश्य हो चुका है। ऐसे आदेश के विरूद्ध अपील सुनने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं है। अपीलाधीन आदेश किस धारा में पारित किया है यह स्पष्ट नहीं है। राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश के विरूद्ध अपील सुनने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं है। अतः अपील इसी स्तर पर खारिज की जावे। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया कि मौका पर अपीलांट की फसल काश्त है। यदि	

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

अपीलांट को बेदखल कर दिया तो अपीलांट अपनी खातेदारी भूमि से महरूम हो जाएगा। अतः इस न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश अपील के निर्णय तक पुष्ट किया जावे।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.06.2018 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधी. न्यायालय में नक्षत्र सिंह द्वारा विविध प्रा.पत्र पेश किया गया है। उक्त प्रा.पत्र किस धारा में पेश किया गया है एवं किस धारा में दर्ज हुआ है, यह स्पष्ट नहीं है। अपीलाधीन आदेश में यह अंकित किया गया है कि प्रार्थी का प्रा.पत्र स्वीकार कर चक 4 बी बी के मु.नं. 37 के कि.नं. 1, 10, 11, 20, 21 में मौका पर चालू खाला को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये गये हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि यह आदेश राजस्व रिकार्ड में अंकन करने से सम्बन्धित है। जोकि प्रथम दृष्टया राज. भू राजस्व अधिनियम के तहत भू अभिलेख अधिकारी के रूप में कार्य करने की श्रेणी में आता है। अपीलांट ने यह भी स्पष्ट नहीं किया कि उसने किस अधिनियम के किस प्रावधान के तहत यह अपीलप्रस्तुत की है। यहां यह पूर्णतः सुस्पष्ट है कि भू अभिलेख अधिकारी के रूप में किये गये आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय को अपील सुनने का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। इस विवेचन के अनुसार इस न्यायालय के विनम्र मत में ऐसे आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय को अपील सुनने का

राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा (राज.)

क्षेत्राधिकार नहीं है। अपीलांट द्वारा भी ऐसा कोई कानूनी प्रावधान हमारे समक्ष पेश नहीं किया जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि ऐसे आदेश के विरूद्ध अपील सुनने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को है। अतः अपील अपीलांट उक्तानुसार खारिज की जाती है। अपीलांट सक्षम न्यायालय में चाराजोही करने हेतु स्वतंत्र है। निर्णित पत्रावली नम्बर से कम होकर अभिलेखागार में जमा हो।

राजस्व अपील अधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)